



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बुधवार, ६ अगस्त, २०१४

श्रावण १५, १९३६ शक रामवत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-१३

संख्या ४१४ / एक-१३-२०१४-७का(८)-२०१४

लखनऊ, ६ अगस्त, २०१४

### अधिसूचना

#### गिविघ

गृहे अर्जन पुनर्वारान और पुनर्व्यवस्थापन में उपित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ (अधिनियम संख्या ३० सन २०१३) की धारा ४३ की अधारा (१) के अधीन शासित का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सबधित तहसील के यथास्थिति सहायक कलेक्टर या उप कलेक्टर को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर "पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक" के रूप में नियुक्त करते हैं।

आङ्ग सं.

क० एस० अटोरिया,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 414/I-13-2014-7ka(8)-2014, dated August 6, 2014:

No. 414/I-13-2014-7ka(8)-2014

Dated Lucknow, August 6, 2014

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), the Governor is pleased to appoint all Assistant Collectors or Deputy Collectors as the case may be of the concerned Tehsil of Uttar Pradesh as "Administrator for Rehabilitation and Resettlement" within their respective territorial jurisdiction.

By order,

K. S. ATORIA,  
Pramukh Sachiv.

प्राप्तिराज्यकूपी० एन०पी० २३० राजपत्र (प्र०८) २०१४ - (६३२)-५८८ प्रातिया (काम्य०८८/ठ०८/आफ्र०८८)।  
प्राप्तिराज्यकूपी० एन०पी० ३ साठ राजस्व २०१४ - (६३४)-१००० प्रातिया (काम्य०८८/ठ०८/आफ्र०८८)।